


Entry 73

जाटे कापी

①

89

न्यायालय प्रीमान राजस्व स्टल ग्वालयर के भोपाल



आधिका
श्री प्रकाश कुशवाहा
जिला. होशंगाबाद
हाथ प्रस्तुत।
A-5
07/06/18

बिन्दु पाल सिंह आ. भुवन प्रताप सिंह
किराना - 4470/2018/होशंगाबाद/भर.
निवासी आलाखी तह बाबड जिला होशंगाबाद ---- पुनरोक्षणकर्ता.

क्रमां

1. चंद्रपाल सिंह भद्रौरिया आ. स्व. भुवन प्रताप सिंह
निवासी आदश नगर कालीनो हाऊसिंग बोर्ड होशंगाबाद
2. श्रीमति धूमनुवर बाई देवा स्व. भुवन प्रताप सिंह
निवासी आलाखी तह. बाबड जिला होशंगाबाद --- उत्तरवादी.

पुनरोक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू रा. सं.

माननीय तहसीलदार महोदय बाबड केदारा राजस्व.

प्रकरण नं. 3573/6 अ. व. 17-18 में पारित आदेश दिनांक 5.18 जिसके द्वारा पुनरोक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का निरस्त किया गया है से व्यथित होकर यह पुनरोक्षण याचिका इसमाननीय न्यायालय के समक्ष निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है।

:: प्रकरण का संक्षिप्त विवरण ::

(Handwritten signature)

उत्त वादी नं. 1 के द्वारा निम्न न्यायालय तहसीलदार

महोदय के समक्ष एक आवेदनपत्र वास्तै त्रुटि पूर्ण बंटकन को पूर्वमे हुये बंटवारे

85
1-6-18



आयुक्त कार्यालय
होशंगाबाद से
ओपल डेस्क
में प्रस्तुत।

26/6/18

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4470/2018/होशंगबाद/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-1-2019	<p>आवेदक की ओर से कोई उपस्थित । तीन बार पुकार लगवाई गई, फिर भी आवेदक अथवा उनके अभिभाषक अनुपस्थित । अतः प्रकरण आवेदक की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है ।</p> <p> अध्यक्ष</p>	<p> अध्यक्ष</p>